राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 1(2)(1) नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/4237 दिनांक :– 21.10.2019

अधिसूचना

सां. आ.: 127/2019– भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–यक (Article 243ZA) के अंतर्गत नगरीय निकायों के अध्यक्ष/सदस्यों के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उप–धारा (1) यह उपबंध है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी अभ्यर्थी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कट आउटों, होर्डिंगों, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा।

अतः नगरपालिका सदस्यों के निर्वाचन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243–यक (Article 243ZA) एवं नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आयोग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(2)(1) नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/2014/3982 दिनांक 15.09.2014 (सां. आ. 95/14) एवं आदेश क्रमांक 5116 दिनांक 28.10.2014 को अधिक्रमित करते हुये निम्न आदेश जारी करता हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भः–** (i) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन में वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध) आदेश, 2019 है;
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है।
   (iii) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।
2. **परिभाषाऐंः–** (1) आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–
   (i) ''निर्वाचन'' से नगरपालिका के सदस्य के लिए ''साधारण निर्वाचन'' और ''उप निर्वाचन'' अभिप्रेत है;
   (ii) ''सदस्य '' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी नगरपालिका का विधिपूर्वक सदस्य है और इसमें नगर निगम के मामले में निगम पार्षद, नगर परिषद के मामले में पार्षद और नगरपालिका मण्डल के मामले में सदस्य सम्मिलित है;
   (iii) ''प्ररूप'' से इस आदेश में उल्लेखित ''प्ररूप'' अभिप्रेत है;
   (iv) ''खण्ड'' से इस आदेश का ''खण्ड'' अभिप्रेत है;
   (v) ''उप खण्ड'' से उस ''खण्ड'' का ''उप खण्ड'' अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है; और
   (vi) ''नियम'' से नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 अभिप्रेत है;
   (2) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनके वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम और नियम में क्रमशः समनुदिष्ट हैं।
3. **कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा–** अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन समाप्ति तक चुनाव प्रचार या चुनाव संबंधी यात्रा (campaigning or election related travel) के लिए निम्नांकित वाहनों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगाः–
   (i) बस (ii) ट्रक (iii) मिनी बस और (iv) मेटाडोर एवं (v) पशुचालित किसी भी प्रकार का वाहन यथा तांगा, ऊँटगाडी, बैलगाड़ी आदि।

4. कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना– उक्त वर्णित वाहनों से भिन्न अन्य किसी वाहन का उपयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा–

(1) नगर निगम पार्षद के चुनाव में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;

(2) नगर परिषद पार्षद के चुनाव में अधिकतम दो वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;

(3) नगरपालिका सदस्य के चुनाव में अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा;

(4) उप खण्ड (1), (2) एवं (3) के अंतर्गत वाहन का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी। उक्त सूचना के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वाहन उपयोग की अनुमति निर्धारित प्ररूप 'ख' में जारी की जायेगी, जो अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किये जा रहे वाहन पर प्रदर्शित (display) की जायेगी।

(5) किसी भी निर्वाचन में उक्त उप खण्ड (1), (2) अथवा (3), जैसी भी स्थिति हो, में बताये गये तीन वाहनों से अधिक की रैली या काफिला नहीं निकाला जायेगा। मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला निकाला जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

(6) उप खण्ड (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत मतदान दिवस को वाहन के उपयोग के लिए लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी, जिसके लिए अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी और यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 सपठित धारा 123(5) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी।

स्पष्टीकरणः– इस खण्ड के प्रयोजन के लिए वाहन से अभिप्रेत जीप, कार, तिपहिया टैम्पों, मोटरसाईकिल, स्कूटर है।

5. लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंधः– लाऊड स्पीकरों का उपयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा–

(1) अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए स्थापित चुनाव कार्यालय पर लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा;

(2) मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व की 48 घंटे की अवधि में एवं हॉस्पिटल, स्कूल एवं धार्मिक स्थल के 100 मीटर की परिधि में लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा;

(3) प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी की प्ररूप 'ग' में लिखित अनुमति के उपरान्त ही उपयोग किया जा सकेगा;

(4) ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता यदि कोई हो, को लिखित रूप में अवगत कराना होगा कि वह किस प्रकार और किसी स्थान पर उसका उपयोग करेगा।

6. कट–आऊटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन का निषेध :– (1) निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर आदि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदर्शित किये जा सकेंगें–

(i) पोस्टरों का मुद्रण कराते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क के उपबंधों और उसके आदेशों की पालना करनी होगी;

(ii) कट–आऊटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों एवं बैनरों के प्रदर्शन में नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अध्याय 12क **"सम्पत्ति के विरूपण का निवारण"** के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यदि वे सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाते है तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या इस निमित्त विधि द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेनी होगी;

(iii) नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अध्याय 12क **"सम्पत्ति के विरूपण का निवारण"** के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए किसी निजी संपत्ति पर केवल ऐसी प्रचार सामग्री जो आसानी से हटायी जा सके, यथा झण्डियां, बैनर, आदि लगायी जा सकेगी लेकिन ऐसी प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व संबंधित संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी;

(iv) किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में ऐसे पोस्टर या बैनर या प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी;

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान